

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 मई 2015—ज्येष्ठ 8, शक 1937

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 मई 2015

क्र. ई.-5-871-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री धनराजू एस., आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ को दिनांक 11 से 21 मई 2015 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9 एवं 10 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री धनराजू एस. की अवकाश अवधि में श्रीमती निशिबाला सिंह, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री धनराजू एस. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री धनराजू एस. द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती निशिबाला सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ के प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री धनराजू एस. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धनराजू एस. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 11 मई 2015

क्र. ई.-5-410-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राकेश अग्रवाल, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जनशिकायत निवारण विभाग को दिनांक 20 से 30 मई 2015 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री राकेश अग्रवाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री बी. आर. नायडू, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जनशिकायत निवारण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री राकेश अग्रवाल द्वारा अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जनशिकायत निवारण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. आर. नायडू उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री राकेश अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-892-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आशीष सिंह, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, इन्दौर को दिनांक 2 से 15 मई 2015 तक, चौदह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 एवं 17 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आशीष सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 12 मई 2015

क्र. ई.-5-792-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, आयएएस., कलेक्टर, जिला बैतूल को दिनांक 11 से 23 मई 2015 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 9 एवं 10 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल की अवकाश अवधि में श्री सौरभ कुमार सुमन, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बैतूल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला बैतूल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बैतूल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल द्वारा कलेक्टर, जिला बैतूल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर जिला बैतूल के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 14 मई 2015

क्र. ई.-5-576-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. राजेश राजौरा, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 15 से 17 अप्रैल 2015 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेश राजौरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में डॉ. राजेश राजौरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेश राजौरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-947-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती अलका श्रीवास्तव, आयएस., अपर आयुक्त (राजस्व) सागर संभाग, सागर को दिनांक 25 से 29 अप्रैल 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलका श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व) सागर संभाग, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अलका श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई.-5-845-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. सी. जैन, आयएस., अपर आयुक्त उज्जैन संभाग को दिनांक 18 से 30 मई 2015 तक कुल तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 मई 2015 तथा 31 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त उज्जैन संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री के. सी. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-675-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सतीश चन्द्र मिश्र, आयएस., प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल को दिनांक 25 मई से 8 जून 2015 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सतीश चन्द्र मिश्र को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सतीश चन्द्र मिश्र को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सतीश चन्द्र मिश्र, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2015

क्र. ई.-5-791-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री निशांत वरवड़े, आयएस., कलेक्टर जिला भोपाल को दिनांक 23 से 30 मई 2015 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री निशांत वरवड़े की अवकाश अवधि में श्री बी. एस. जामोद, अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री निशांत वरवड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री निशांत वरवड़े द्वारा कलेक्टर जिला भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. एस. जामोद, कलेक्टर, जिला भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री निशांत वरवड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निशांत वरवड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंटोनी डिंसा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 मई 2015

क्र. ई.-5-687-आयएस-लीव-5-एक.—श्री नीतेश व्यास, आयएस., आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2015 द्वारा दिनांक 5 से 15 मई 2015 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 3, 4 मई एवं 16, 17 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मई 2015

क्र. एफ-1(ए) 58-2012-ब-2-दो.—डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, खण्डवा को दिनांक 27 जनवरी से 7 फरवरी 2015 तक कुल बारह दिवस लघुकृत अवकाश उपभोग करने के पश्चात् कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे के अवकाश खाते से चौबीस दिवस का अर्धवैतनिक (HPL) अवकाश घटाया जायेगा।

(3) अवकाशकाल में डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1-(ए)92-2001-ब-2-दो.—(1) श्री जी. पी. उईके, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (समन्वय), अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 6 से 15 अप्रैल 2015 तक कुल दस दिवस अर्जित अवकाश उपभोग करने के पश्चात् कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री जी. पी. उईके, भापुसे, को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी. उईके, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए) 86-2013-ब-2-दो.—श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, नरसिंहपुर को दिनांक 11 से 18 मार्च 2015 तक कुल आठ दिवस लघुकृत अवकाश उपभोग करने के पश्चात् कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री मनीष कपूरिया, भापुसे के अवकाश खाते से सोलह दिवस का अर्धवैतनिक (HPL) अवकाश घटाया जायेगा।

(3) अवकाशकाल में श्री मनीष कपूरिया, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए) 168-1989-ब-2-दो.—श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रबंध पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 5 से 12 जून 2015 तक आठ दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, योजना, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कैलाश मकवाना भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रबंध पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री कैलाश मकवाना, भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कैलाश मकवाना, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए) 169-89-ब-2-दो.—श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अ.जा.क., पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 11 से 17 अप्रैल 2015 तक कुल 7 दिवस अर्जित अवकाश उपभोग करने के पश्चात् कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 19 मई 2015

क्र. एफ-1(ए) 243-1993-ब-2-दो.—श्री वरूण कपूर, भापुसे, निदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल इन्दौर को दिनांक 5 जून से 4 जुलाई 2015 तक 30 दिवस का अर्जित अवकाश 5 जुलाई 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री वरूण कपूर, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, पश्चिम क्षेत्र इन्दौर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री वरूण कपूर भापुसे., भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक, पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री वरूण कपूर, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री वरूण कपूर, भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वरूण कपूर, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए) 128-2011-ब-2-दो.—श्री नवनीत भसीन, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, मुरैना को दिनांक 1 से 15 मई 2015 तक कुल पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश ले लौटने पर श्री नवनीत भसीन, भापुसे को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री नवनीत भसीन, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नवनीत भसीन, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 20 मई 2015

क्र. एफ-1(ए) 152-90-ब-2-दो.—श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जेल, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 22 अप्रैल 2015 से 2 मई 2015 तक कुल ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश के उपभोग पश्चात् कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 22 मई 2015

क्र. एफ-1(ए) 147-1990-ब-2-दो.—श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एस.टी.एफ. पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 27 मई से 10 जून 2015 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री संजय तिवारी, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (मुख्यालय) एस.टी.एफ. भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एस.टी.एफ. पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए) 214-1996-ब-2-दो.—श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, आरएपीटीसी, इन्दौर को दिनांक 15 से 23 मई 2015 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 24 मई 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 में सपत्नीक गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा की पात्रता के तहत अंतिम गन्तव्य स्थल बेकटकू बाग (सिक्किम) की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1. श्री आर. के. गुप्ता	—	स्वयं
2. श्रीमती चेतना गुप्ता	—	पत्नी
3. श्री रोहित गुप्ता	—	पुत्र

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

(3) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री आर.सी. पंवार, सेनानी, आरएपीटीसी, इन्दौर द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, आरएपीटीसी, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(5) श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, आरएपीटीसी, इन्दौर के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(6) अवकाशकाल में श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए) 27-94-ब-2-दो.—श्री आलोक रंजन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 18 से 23 मई 2015 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 16, 17 एवं 24 मई 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के लाय स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री आलोक रंजन, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री के. पी. खरे, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित करने का लेख किया गया था परन्तु विभागीय आदेश दिनांक 15 मई 2015 द्वारा श्री खरे, भापुसे अन्यत्र स्थानांतरित हो गये हैं।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक रंजन, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) अवकाशकाल में श्री आलोक रंजन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक रंजन, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए) 253-1988-ब-2-दो.—डॉ. आर.के. गर्ग, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एस.सी.आर.बी. पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 15 से 19 जून 2015 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 13, 14 एवं 20, 21 जून 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) डॉ. आर.के. गर्ग, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री पी. के. माथुर, पुलिस महानिदेशक एस.सी.आर.बी. पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. आर.के. गर्ग, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एस.सी.आर.बी. पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. आर.के. गर्ग, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. आर.के. गर्ग भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आर.के. गर्ग भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, अपर मुख्य सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 मई 2015

फा. क्र. 3(सी)8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री आदित्य चौबे, अधिवक्ता, जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/- (रुपये पांच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर उक्त पद पर एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो) तक नियुक्त करता है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (579) उच्च न्यायालय भारत (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

फा. क्र. 3(सी)8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री अरूण शुक्ला, अधिवक्ता, जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/- (रुपये पांच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर उक्त पद पर एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो) तक नियुक्त करता है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (579) उच्च न्यायालय भारत (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बिरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 मई 2015

क्र. 611.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील तामिया जिला छिन्दवाड़ा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प.ह.नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.
(1)	(2)

ग्राम जामुनढोंगा, प.ह.नं. 22 ग्राम नौरीटोला, प.ह.नं. 22
से पृथक् किया गया
क्षेत्रफल—395.549 हेक्टेयर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 मई 2015

क्र. ई 1-173-2015-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भा.प्र.से., अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री व्ही. सी. सेमवाल (1985), प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, भोपाल.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग.	—
2	श्री अजय तिकी (1987), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग.	प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, भोपाल.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
3	श्रीमती वीरा राणा (1988), आयुक्त-सह-संचालक, हस्तशिल्प तथा हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प तथा हाथकरघा विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन पर्यटन विभाग.	—
4	श्री आशीष श्रीवास्तव (1992), पदस्थापना के लिये प्रतीक्षारत.	आयुक्त-सह-संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
5	श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी (1993), पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत.	आयुक्त-सह-संचालक, हस्तशिल्प तथा हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प तथा हाथकरघा विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार).	—
6	श्रीमती रश्मि अरूण शमी (1994), आयुक्त-सह-संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.	सचिव, कार्मिक, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग.	—

(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती रश्मि अरूण शमी द्वारा सचिव, कार्मिक, सामान्य प्रशासन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अश्विनी कुमार राय, भाप्रसे (1990), प्रमुख सचिव, कार्मिक मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित केवल प्रमुख सचिव, कार्मिक, सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यभार से मुक्त होंगे.

(3) उपरोक्तानुसार श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे (1988) द्वारा प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे (1994) सचिव, मध्यप्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन तथा पर्यटन विभाग एवं सचिव, मुख्यमंत्री केवल सचिव, पर्यटन विभाग के कार्यभार से मुक्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंटोनी डिसा, मुख्य सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मई 2015

क्र. एफ-19-44-2015-बी-ग्यारह.—उद्योग संवर्धन नीति, 2014 की कंडिका 10.7 में उल्लेखित प्राथमिकता विकासखण्डों में स्थापित होने वाले वृहद एवं मेगा स्तर की औद्योगिक इकाई को अतिरिक्त मूल्य सर्वर्धित कर (VAT) और केन्द्रीय विक्रय कर (CST) सहायता दिये जाने का उल्लेख है, इन 229 प्राथमिक विकासखण्डों की सूची संलग्न है. उक्त 229 विकासखण्डों में से जिस वित्तीय वर्ष में किसी विकासखण्ड में कोई वृहद/मेगा औद्योगिक परियोजना व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करती है, तो उसके आगामी वित्तीय वर्ष से ऐसा विकासखण्ड स्वतः ही प्राथमिकता विकासखण्डों की सूची से पृथक् हो जायेगा.

संलग्न : 229 विकासखण्डों की सूची

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव.

उद्योग संवर्धन नीति, 2014 की कण्डिका क्रमांक 10.7 में

“प्राथमिकता विकासखण्ड” की सूची

अनुक्रमांक	जिले का नाम	जिले में स्थित विकासखण्डों की कुल संख्या (नाम सहित)	दिनांक 1-10-2014 को प्राथमिकता विकासखण्ड की कुल संख्या (नाम सहित)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	इन्दौर	(4) इन्दौर महू सांवेर देपालपुर	(1) देपालपुर
2	बड़वानी	(7) बड़वानी पाटी, राजपुर, ठीकरी, संधवा, पानसेमल, नवाली,	(7) बड़वानी पाटी, राजपुर, ठीकरी, संधवा, पानसेमल, नवाली,
3	खण्डवा	(7) खंडवा छैगांवमाखन पंधाना हरसूद खालवा पुनासा किल्लौद	(6) खंडवा पंधाना हरसूद खालवा पुनासा किल्लौद
4	बुरहानपुर	(2) बुरहानपुर, खकनार	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)
5	झाबुआ	(6) झाबुआ रामा रानापुर मेघनगर थांदला पेटलावद	(5) झाबुआ रामा रानापुर थांदला पेटलावद
6	अलीराजपुर	(6) आलीराजपुर सोंडवा कठिठवाडा आजादनगर जोबट उदयगढ़	(6) आलीराजपुर सोंडवा कठिठवाडा आजादनगर जोबट उदयगढ़
7	धार	(10) धार तिरला सरदारपुर बाग कुक्षी डही निसरपुर मनावर गंधवानी बदनावर	(2) धार बदनावर
8	पीथमपुर	(3) नालछा धरमपुरी उमरबन	(1) उमरबन
9	खरगौन	(9) खरगौन कसरावद बडवाह महेश्वर भीकनगांव झिरन्या भगवानपुरा गोगावां सेगाव	(6) महेश्वर भीकनगांव झिरन्या भगवानपुरा गोगावां सेगाव
10	रीवा	(9) रीवा रायपुर कर्चुलियान	(8) रायपुर कर्चुलियान गंगेव

(1)	(2)	(3)	(4)
		गंगेव नईगढ़ी मउगंज हनुमना त्योथर जवा सिरमौर	नईगढ़ी मउगंज हनुमना त्योथर जवा सिरमौर
11	सतना	(8) नागौद उचेहरा अमरपाटन रामनगर मझगवां सेहावल मैहर रामपुर बाघेलान	(8) नागौद उचेहरा अमरपाटन रामनगर मझगवां
12	शहडोल	(5) ब्यौहारी जयसिंहनगर गोहपारू सोहागपुर बुढार	(4) ब्यौहारी जयसिंहनगर गोहपारू सोहागपुर
13	उमरिया	(3) करकेली मानपुर बिरसिंहपुर पाली	(3) करकेली मानपुर बिरसिंहपुर पाली
14	अनूपपुर	(4) पुष्पराजगढ़ अनूपपुर कोतमा जैतहरी	(3) पुष्पराजगढ़ अनूपपुर कोतमा
15	सीधी	(5) सीधी सिहावल रामपुर नैकिन मझौली कुसमी	(4) सीधी सिहावल मझौली कुसमी
16	सिंगरौली	(3) बैढन चितरंगी	(1) बैढन

(1)	(2)	(3)	(4)
17	भोपाल	देवसर (2) फन्दा बैरसिया	(1) बैरसिया
18	सीहोर	(5) सीहोर आष्टा बुदनी नसरुल्लागंज इछावर	(5) नसरुल्लागंज इछावर
19	रायसेन	(4) सिलवानी गैरतगंज बेगमगंज साँची	(3) सिलवानी गैरतगंज बेगमगंज
20	मण्डीदीप	(3) ओबेदुल्लागंज बाडी उदयपुरा.	(2) बाडी उदयपुरा
21	राजगढ़	(6) नरसिंहगढ़ राजगढ़ सारंगपुर ब्यावरा जीरापुर खिलचीपुर	(4) राजगढ़ सारंगपुर जीरापुर खिलचीपुर
22	विदिशा	(7) विदिशा, ग्यारसपुर नटेरन सिरोंज लटेरी बासौदा कुरवाई	(6) ग्यारसपुर नटेरन सिरोंज लटेरी बासौदा कुरवाई
23	बैतूल	(10) बैतूल चिचोली मुलताई प्रभातपट्टन आमला घोड़ाडोगरी शाहपुर भैसदेही भीमपुर	(9) चिचोली मुलताई प्रभातपट्टन आमला घोड़ाडोगरी शाहपुर भैसदेही भीमपुर आठनेर

(1)	(2)	(3)	(4)
24	होशंगाबाद	आठनेर (7) होशंगाबाद केसला सिवनीमालवा बाबई सोहागपुर पिपरिया बनखेडी	(4) सिवनीमालवा बाबई सोहागपुर पिपरिया
25	हरदा	(3) हरदा खिरकिया टिमरनी	(1) टिमरनी
26	ग्वालियर	(4) घाटीगांव मुरार डबरा भितरवार	(3) घाटीगांव डबरा भितरवार
27	शिवपुरी	(8) शिवपुरी पोहरी कोलारस बदरबास करैरा नरवर पिछोर खनियाधाना	(8) शिवपुरी पोहरी कोलारस बदरबास करैरा नरवर पिछोर खनियाधाना
28	गुना	(5) गुना बमोरी राघौगढ़ आरोन चाचोडा	(3) बमोरी आरोन चाचोडा
29	अशोकनगर	(4) अशोक नगर ईसागढ़ चंदेरी मुंगावली	(4) अशोक नगर ईसागढ़ चंदेरी मुंगावली
30	दतिया	(3) दतिया भाण्डेर	(2) भाण्डेर सेंवढा

(1)	(2)	(3)	(4)
31	भिण्ड	सेंवढ़ा (4) अटेर भिण्ड रोन लहार	(4) अटेर भिण्ड रोन लहार
32	मालनपुर	(2) गोहद मेहगॉव	(1) मेहगॉव
33	मुरैना	(7) पोरसा अम्बाह मुरैना जौरा पहाडगढ़ सबलगढ़ कैलारस	(6) पोरसा अम्बाह जौरा पहाडगढ़ सबलगढ़ कैलारस
34	शयोपुर	(3) शयोपुर कराहल विजयपुर	(3) शयोपुर कराहल विजयपुर
35	सागर	(11) सागर जैसीनगर खुरई मालथीन बीना देवरी केसली रहली बण्डा शाहगढ़	(8) जैसीनगर खुरई मालथीन देवरी केसली रहली शाहगढ़ राहतगढ़
36	दमोह	(7) दमोह पथरिया हटा जबेरा तेदूखेड़ा पटेरा बटियागढ़	(5) हटा जबेरा तेदूखेड़ा पटेरा बटियागढ़
37	पन्ना	(5) अजयगढ़	(5) अजयगढ़

(1)	(2)	(3)	(4)
		पन्ना गुनौर पवई शाहनगर	पन्ना गुनौर पवई शाहनगर
38	टीकमगढ़	(6) टीकमगढ़ जतारा पलेरा बल्देवगढ़ पृथ्वीपुर निवाड़ी	(6) टीकमगढ़ जतारा पलेरा बल्देवगढ़ पृथ्वीपुर निवाड़ी
39	छतरपुर	(8) छतरपुर नौगांव लवकुशनगर (लौंडी) गौरीहार (बारीगढ़) बडामलहरा राजनगर बिजावर बक्स्वाहा*	(8) छतरपुर नौगांव लवकुशनगर (लौंडी) गौरीहार (बारीगढ़) बडामलहरा राजनगर बिजावर बक्स्वाहा*
40	उज्जैन	(6) उज्जैन घटिया तराना बड़नगर महिदपुर खाचरौद	(4) घटिया तराना बड़नगर महिदपुर
41	देवास	(6) देवास सोनकच्छ टोकखुर्द कन्नौद खातेगांव बागली	(5) सोनकच्छ टोकखुर्द कन्नौद खातेगांव बागली
42	रतलाम	(6) रतलाम जावरा सैलाना	(4) सैलाना आलोट पिपलोदा

(1)	(2)	(3)	(4)
43	शाजापुर	आलोट पिपलोदा बाजना (8) शाजापुर शुजालपुर कालापीपल बडोदिया आगर बडोद नलखेडा सुसनेर	बाजना (6) कालापीपल बडोदिया आगर बडोद नलखेडा सुसनेर
44	मंदसौर	(5) मन्दसौर मल्हारगढ़ सीतामड गरोठ भानपुरा	(3) सीतामड गरोठ भानपुरा
45	नीमच	(3) नीमच जावद मनासा	(1) मनासा
46	जबलपुर	(7) पनागर पाटन मझौली कुण्डम शहपुरा सिहोरा जबलपुर (बरगी)	(3) पाटन मझौली कुण्डम
47	कटनी	(6) मुडवार (कटनी) विजयराघवगढ़ बडवारा रीठी ढीमरखेडा बहोरीबंद	(2) रीठी ढीमरखेडा बहोरीबंद
48	नरसिंहपुर	(6) नरसिंहपुर करेली	(2) गोटेगांव चीचली

(1)	(2)	(3)	(4)
		गोटेगांव साईखेड़ा चीचली चौवरपाठा	
49	छिन्दवाड़ा	(11) तमियाँ जुन्नारदेव परासिया अमरवाड़ा हरई मोहखेड़ा बिछुआ छिन्दवाड़ा सौसर पाण्डुर्ना चौरई	(8) तमियाँ जुन्नारदेव परासिया अमरवाड़ा हरई मोहखेड़ा बिछुआ चौरई
50	बालाघाट	(10) बालाघाट बिरसा किरनापुर लांजी वारासिवनी कटंगी खैरलांजी लालबर्वा बैहर परसवाड़ा	(8) किरनापुर लांजी वासासिवनी कटंगी खैरलांजी लालबर्वा बैहर परसवाड़ा
51	सिवनी	(8) सिवनी छपारा लखनादौन कुरई बरघाट केवलारी घंसौर धनौरा	(7) छपारा लखनादौन कुरई बरघाट केवलारी घंसौर धनौरा
52	मंडला	(9) मण्डला नैनपुर बिछिया मवई घुघरी	(8) मण्डला नैनपुर बिछिया मवई घुघरी

(1)	(2)	(3)	(4)
		मोहगांव निवास बीजाडांडी नारायणगंज	मोहगांव बीजाडांडी नारायणगंज
53	डिण्डौरी	(7) डिण्डौरी समनापुर अमरपुर बजाग करंजिया शाहपुरा मेहदवानी 313	(7) डिण्डौरी समनापुर अमरपुर बजाग करंजिया शाहपुरा मेहदवानी 229

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 मई 2015

क्र. एफ 1 (बी) 84-2014-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा के अन्तर्गत वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित परीक्षा 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600—39100+5400/-में वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी) के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है:—

क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	04	श्री अखिलेश कुमार सोनी, द्वारा श्री अंशुमन सोनी, म. नं. 225, डब्ल्यू-41, लुहार गली, चकरा घाट, सागर-म. प्र. 470002.	क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, भोपाल (वाइस लैब हेतु).
2	08	श्री पंकज कुमार पाण्डे, पीएलडी लैब, यूजीसी-डीईई, कॉन्सोर्टियम फार साइंटिफिक रिसर्च यूनिवर्सिटी कैम्पस, खण्डवा रोड, इन्दौर म. प्र.-452001.	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर
3	09	श्री ऋषिकेश यादव, रूम नं. बी-133, बालक छात्रावास (हॉस्टल) एयरपोर्ट बायपास रोड, गांधी नगर, आरजीपीबी, भोपाल-462033.	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर

(1)	(2)	(3)	(4)
4	14	डॉ. अर्पिता सक्सेना, एम/55, थाटीपुर कॉलोनी, पीओ रामकृष्णपुरी, मुरार, ग्वालियर म. प्र.-474011.	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर
5	26	श्री रामदा कनेश, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, निसरपुर, तहसील-कुक्षी, जिला धार म. प्र.-454335.	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर

2. नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में कॉलम 04 में अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

3. नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश न्यायालयिक प्रयोगशाला (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम-1993 से शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे.

4. नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

5. राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

6. नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेंगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

7. परिवीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.

8. नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अर्जांच एवं अमांग प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

9. प्रत्याशियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के पुलिस अधीक्षक/संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय/कार्यालय प्रमुख को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

10. मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की पृविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.

11. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6, की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. श्रीवास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2015

फा. क्र. 17(ई)43-2009-1110-इक्कीस-ब(एक)-15.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)-2009-2251-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 10 मई 2013 में, निम्नलिखित संशोधन करता है:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में, अनुक्रमांक 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 55, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85 एवं 86 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:—

सारणी

अनु- क्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	श्री दीपक चौधरी, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	चंदेरी	अशोकनगर	चंदेरी	चंदेरी
7.	श्री राकेश कुमार ठाकुर, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट
9.	श्री कमलेश सनोडिया, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	बैतूल	बैतूल	बैतूल	बैतूल
10.	श्री जयदीप सोनबर्से, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	मुलताई	बैतूल	मुलताई	मुलताई
11.	श्री मनोज कुमार तिवारी, (जूनि.) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड
12.	श्री सतीश कुमार गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	लहार	भिण्ड	लहार	लहार
13.	श्री संजय पाल सिंह बुंदेला, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	भोपाल	भोपाल	भोपाल	भोपाल
16.	श्री प्रवीण पटेल, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर
18.	श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	श्री दीपक शर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	दमोह	दमोह	दमोह	दमोह
21.	श्रीमती सुशीला वर्मा, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	हटा	दमोह	हटा	हटा
22.	श्री राकेश बंसल, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	दतिया	दतिया	दतिया	दतिया
24.	श्री ओम प्रकाश रघुवंशी, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	देवास	देवास	देवास	देवास
26.	श्री निरंजन कुमार पांचाल, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	धार	धार	धार	धार
27.	श्री हर्ष सिंह बहरावत, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	मनावर	धार	मनावर	मनावर
29.	श्री हेमंत कुमार यादव, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा
30.	श्री विपिन लावनिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	गुना	गुना	गुना	गुना
31.	श्री संजय अग्रवाल, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश.	चाचोड़ा	गुना	चाचोड़ा	चाचोड़ा
33.	श्री गिरिराज प्रसाद गर्ग प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	डबरा	ग्वालियर	डबरा	डबरा
34.	डॉ. कु. महजबीन खान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. के अतिरिक्त न्यायाधीश.	हरदा	हरदा	हरदा	हरदा
35.	श्री चन्द्रकिशोर बारपेटे, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद
37.	श्री दिलीप गुप्ता, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर
38.	तनवीर अहमद खान, पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर
39.	विकास भट्टेले, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	पाटन	जबलपुर	पाटन	पाटन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
45.	श्री वंदन मेहता, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	गरोठ	मंदसौर	गरोठ	गरोठ
46.	श्री संजय कुमार गुप्ता, (सीनि.) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	मुरैना	मुरैना	मुरैना	मुरैना
47.	श्री सुधीर सिंह ठाकुर, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	अम्बाह	मुरैना	अम्बाह	अम्बाह
48.	श्री विकास कुमार शर्मा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
50.	श्री किशोर कुमार गहलोत, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	नीमच	नीमच	नीमच	नीमच
51.	श्री मानवेन्द्र पवार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	मनासा	नीमच	मनासा	मनासा
55.	श्री विवेक शर्मा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. के अतिरिक्त न्यायाधीश.	ब्यावरा	राजगढ़	1. ब्यावरा 2. राजगढ़	1. ब्यावरा 2. राजगढ़
56.	श्रीमती कविता दीप खरे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. के अतिरिक्त न्यायाधीश.	रतलाम	रतलाम	रतलाम	रतलाम
59.	श्री तेजप्रताप सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	सिरमौर	रीवा	सिरमौर	सिरमौर
60.	श्री प्रशांत कुमार, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	सागर	सागर	सागर	सागर
62.	श्री अनिल कुमार पाठक, षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	सतना	सतना	सतना	सतना
63.	श्री राजेश सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	नागौद	सतना	नागौद	नागौद
65.	श्री आदित्य रावत, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश.	बुधनी	सीहोर	बुधनी	बुधनी
67.	श्री संजय कुमार जैन, (जूनि.-2) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश.	लखनादौन	सिवनी	लखनादौन	लखनादौन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
69.	श्री अमित नगायच, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	जयसिंहनगर	शहडोल	जयसिंहनगर	जयसिंहनगर
70.	श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश.	शाजापुर	शाजापुर	शाजापुर	शाजापुर
71.	श्री अजयनील करौठिया, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	आगर	शाजापुर	आगर	आगर
73.	श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा (सीनि.), तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी
75.	श्री जैनुअल आबदीन, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	सीधी	सीधी	सीधी	सीधी
76.	श्री पवन कुमार पटेल, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	मझौली	सीधी	मझौली	मझौली
77.	श्री गुलाब चन्द्र मिश्रा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.	बैढ़न	सिंगरोली	बैढ़न	बैढ़न
78.	श्री वरीन्द्र कुमार तिवारी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2. के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश.	टीकमगढ़	टीकमगढ़	टीकमगढ़	टीकमगढ़
79.	श्री प्रदीप कुमार दुबे, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	निवाड़ी	टीकमगढ़	निवाड़ी	निवाड़ी
80.	श्री आशुतोष शुक्ला, षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन
83.	श्री आलोक मिश्रा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	विदिशा	विदिशा	विदिशा	विदिशा
84.	श्री विनोद कुमार पाटीदार, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	सिरोंज	विदिशा	सिरोंज	सिरोंज
85.	श्री अमित कुमार भूरिया, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर
86.	श्री सदाशिव दांगोडे, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	भीकनगांव	मण्डलेश्वर	भीकनगांव	भीकनगांव

F.No. 17(E)43-2009-1110-XXI-B(1)-15.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 17(E)43-2009-2251-XXI-B(1), dated 10th May 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial numbers 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 55, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85 and 86 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S.No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“6.	Shri Deepak Chaudhary, Civil Judge Class-II.	Chanderi	Ashoknagar	Chanderi	Chanderi
7.	Shri Rakesh Kumar Thakur, II Civil Judge Class-I.	Balaghat	Balaghat	Balaghat	Balaghat
9.	Shri Kamlesh Sanodiya, IV Civil Judge Class-I.	Betul	Betul	Betul	Betul
10.	Shri Jaideep Sonbarse, II Civil Judge Class-II.	Multai	Betul	Multai	Multai
11.	Shri Manoj Kumar Tiwari (Jr.) II Civil Judge Class-II.	Bhind	Bhind	Bhind	Bhind
12.	Shri Satish Kumar Gupta, I Civil Judge Class-I.	Lahar	Bhind	Lahar	Lahar
13.	Shri Sanjay Pal Singh, Bundela, III Civil Judge Class-I.	Bhopal	Bhopal	Bhopal	Bhopal
16.	Shri Praveen Patel, II Civil Judge Class-I.	Chhatarpur	Chhatarpur	Chhatarpur	Chhatarpur
18.	Shri Mahendra Kumar Tripathi, II Civil Judge Class-I.	Chhindwara	Chhindwara	Chhindwara	Chhindwara
20.	Shri Deepak Sharma, II Civil Judge Class-I.	Damoh	Damoh	Damoh	Damoh
21.	Smt. Susheela Verma, Civil Judge Class-I.	Hatta	Damoh	Hatta	Hatta
22.	Shri Rakesh Bansal, II Civil Judge Class-I.	Datia	Datia	Datia	Datia
24.	Shri Om Prakash Raghuvanshi IV Civil Judge Class-I.	Dewas	Dewas	Dewas	Dewas
26.	Shri Niranjana Kumar Panchal, II Civil Judge Class-I.	Dhar	Dhar	Dhar	Dhar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27.	Shri Harsh Singh Behrawat, Civil Judge Class-I.	Manawar	Dhar	Manawar	Manawar
29.	Shri Hemant Kumar Yadav, IV Civil Judge Class-I.	Khandwa	Khandwa	Khandwa	Khandwa
30.	Shri Bipin Lavania, II Civil Judge Class-I.	Guna	Guna	Guna	Guna
31.	Shri Sanjay Agrawal, Additional Judge to Civil Judge Class-I.	Chachoda	Guna	Chachoda	Chachoda
33.	Shri Giriraj Prasad Garg, I Civil Judge Class-II.	Dabra	Gwalior	Dabra	Dabra
34.	Dr. Ku. Mehjabeen Khan, Additional Judge to I Civil Judge Class-I.	Harda	Harda	Harda	Harda
35.	Shri Chandra Kishore Barpete, II Civil Judge Class-I.	Hoshangabad	Hoshangabad	Hoshangabad	Hoshangabad
37.	Shri Dileep Gupta, III Civil Judge Class-I.	Indore	Indore	Indore	Indore
38.	Shri Tanveer Ahmed Khan, V Civil Judge Class-I.	Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur
39.	Shri Vikas Bhatele, Civil Judge Class-I.	Patan	Jabalpur	Patan	Patan
45.	Shri Vandan Mehta, Civil Judge Class-I.	Garoth	Mandsaur	Garoth	Garoth
46.	Shri Sanjay Kumar Gupta, (Sr.) II Civil Judge Class-I.	Morena	Morena	Morena	Morena
47.	Shri Sudhir Singh Thakur, Civil Judge Class-I.	Ambah	Morena	Ambah	Ambah
48.	Shri Vikas Kumar Sharma, III Civil Judge Class-II.	Narsinghpur	Narsinghpur	Narsinghpur	Narsinghpur
50.	Shri Kishore Kumar Gahlot, II Civil Judge Class-I.	Neemuch	Neemuch	Neemuch	Neemuch
51.	Shri Manvendra Pawar, I Civil Judge Class-I.	Manasa	Neemuch	Manasa	Manasa
55.	Shri Vivek Sharma, Additional Judge to I Civil Judge Class-I.	Biaora	Rajgarh	1. Biaora 2. Rajgarh	1. Biaora 2. Rajgarh
56.	Smt. Kavita Deep Khare, Additional Judge to I Civil Judge Class-I.	Ratlam	Ratlam	Ratlam	Ratlam
59.	Shri Tej Pratap Singh, I Civil Judge Class-I.	Sirmour	Rewa	Sirmour	Sirmour

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
60.	Shri Prashant Kumar, II Civil Judge Class-I.	Sagar	Sagar	Sagar	Sagar
62.	Shri Anil Kumar Pathak, VI Civil Judge Class-I.	Satna	Satna	Satna	Satna
63.	Shri Rajesh Singh I Civil Judge Class-I.	Nagod	Satna	Nagod	Nagod
65.	Shri Aditya Rawat, Additional Judge to Civil Judge Class-I.	Budhni	Sehore	Budhni	Budhni
67.	Shri Sanjay Kumar Jain (Jr.-2) Additional Judge to Ist Civil Judge Class-I.	Lakhnadon	Seoni	Lakhnadon	Lakhnadon
69.	Shri Amit Nagayach, I Civil Judge Class-II.	Jaisinghnagar	Shahdol	Jaisinghnagar	Jaisinghnagar
70.	Shri Yogendra Kumar Tyagi, Additional Judge to Ist Civil Judge Class-I.	Shajapur	Shajapur	Shajapur	Shajapur
71.	Shri Ajayneel Karothiya, Civil Judge Class-I.	Agar	Shajapur	Agar	Agar
73.	Shri Ravindra Kumar Sharma, (Sr.) III Civil Judge Class-II.	Shivpuri	Shivpuri	Shivpuri	Shivpuri
75.	Shri Jainul Abedin, IV Civil Judge Class-II.	Sidhi	Sidhi	Sidhi	Sidhi
76.	Shri Pawan Kumar Patel, Civil Judge Class-II.	Majholi	Sidhi	Majholi	Majholi
77.	Shri Gulab Chandra Mishra, II Additional Judge to I Civil Judge Class-I.	Waidhan	Singrauli	Waidhan	Waidhan
78.	Shri Varindra Kumar Tiwari III Additional Judge to I Civil Judge Class-I.	Tikamgarh	Tikamgarh	Tikamgarh	Tikamgarh
79.	Shri Pradeep Kumar Dubey, Civil Judge Class-I.	Niwari	Tikamgarh	Niwari	Niwari
80.	Shri Ashutosh Shukla, VI Civil Judge Class-I.	Ujjain	Ujjain	Ujjain	Ujjain
83.	Shri Alok Mishra, III Civil Judge Class-I.	Vidisha	Vidisha	Vidisha	Vidisha
84.	Shri Vinod Kumar Patidar, Civil Judge Class-I.	Sironj	Vidhisha	Sironj	Sironj
85.	Shri Amit Kumar Bhuriya, Civil Judge Class-I.	Mandleshwar	Mandleshwar	Mandleshwar	Mandleshwar
86.	Shri Sadashiv Dangode, Civil Judge Class-II.	Bhikangaon	Mandleshwar	Bhikangaon	Bhikangaon

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी
मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

(1) (2) (3)

2 श्री लक्ष्मी नारायण मानमोडे उपयंत्री

भोपाल, दिनांक 18 मई 2015

उज्जैन संभाग

3 श्री सरोज बाबु वंजारी उपयंत्री

क्र. 3139-857-अका-विपप्र-2015.—राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र—लेखा व स्थापना (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उज्जैन संभाग

1 श्री देवीसिंह डावर उपयंत्री

क्र. 3141-899-अका-विपप्र-2015.—राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र—स्विच गैयर तथा संरक्षण (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

इन्दौर संभाग

1 श्री सुरेन्द्र नाथ खरे उपयंत्री

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

ग्वालियर संभाग

2 श्री निशांत श्रीवास्तव उपयंत्री
3 श्री सतेन्द्र सिंह भदौरिया सहायक यंत्री

क्र. 3143-889-अका-विपप्र-2015.—राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 16 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र—भू-योजन तथा विद्युत् सुरक्षा (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

होशंगाबाद संभाग

1 सुश्री उषा अहिरवार उपयंत्री

क्र. 3145-879-अका-विपप्र-2015.—राज्य शासन द्वारा समस्त विभागों के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र—हिन्दी विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

ग्वालियर संभाग

1 श्री राहुल कुमार इंदरचंद लोढ़ा अति. पुलिस अधीक्षक
2 डॉ. महेश सिंह कुशवाह नायब तहसीलदार

रीवा संभाग

3 श्री रामलाल पनिका राजस्व निरीक्षक
4 श्री राम कुमार पनिका राजस्व निरीक्षक
5 श्री राजेश कुमार सिंह राजस्व निरीक्षक
6 श्री मनोज कुमार तिवारी राजस्व निरीक्षक
7 श्री राम मनोरथ प्रजापति राजस्व निरीक्षक
8 श्री राजेश कुमार पटेल सहायक प्रबंधक

क्र. 3147-906-अका-विपप्र-2015.—राज्य शासन द्वारा उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर रीवा संभाग

1 श्री राजेश कुमार पटेल सहायक प्रबंधक

सागर संभाग

2 श्री कुलदीप चौरहा सहायक प्रबंधक

(1)	(2)	(3)
जबलपुर संभाग		
3	श्री सोन लाल धुर्वे	सहायक प्रबंधक
क्र. 3168-900-अका-विपप्र-2015.—राज्य शासन द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र—समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—		

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
उच्चस्तर		
जबलपुर संभाग		

1 श्री प्रशान्त आर्य जिला संयोजक

क्र. 3170-878-अका-विपप्र-2015.—राज्य शासन द्वारा सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र—व्यवहारिक परीक्षा (आदेश लिखने के संबंध में- पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
उच्चस्तर °		
सागर संभाग		

1 सुश्री दीप्ति बनवासी सहायक पंजीयक

क्र. 3172-869-अका-विपप्र-2015.—राज्य शासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र—द्वितीय लेखा (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
उच्चस्तर		
होशंगाबाद संभाग		

1 श्री चयेन्द्र कुमार बुडेकर परियोजना अधिकारी

इन्दौर संभाग

2 श्री संजय गहरवाल जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.

(1)	(2)	(3)
3	श्री कालू सिंह बघेल	बाल विकास परियोजना अधिकारी.
4	श्रीमती रीता नाथ	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.

जबलपुर संभाग

5	श्री अरूण प्रताप सिंह निरंजन	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
6	श्री राधेश्याम वर्मा	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
7	श्री इन्द्र कुमार साहू	बाल विकास परियोजना अधिकारी.
8	डॉ. मोनिका बिसेन	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
9	कु. वनश्री कुर्वेती	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.

क्र. 3174-872-अका-विपप्र-2015.—राज्य शासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र—प्रथम लेखा (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
उच्चस्तर		
होशंगाबाद संभाग		

1 श्री चयेन्द्र कुमार बुडेकर परियोजना अधिकारी

इन्दौर संभाग

2	श्री संजय गहरवाल	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
3	श्री कालू सिंह बघेल	बाल विकास परियोजना अधिकारी.
4	श्रीमती रीता नाथ	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.

जबलपुर संभाग

5	श्री अरूण प्रताप सिंह निरंजन	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
6	श्री राधेश्याम वर्मा	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.

(1)	(2)	(3)
7	श्री इन्द्र कुमार साहू	बाल विकास परियोजना अधिकारी.
8	डॉ. मोनिका बिसेन	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
9	कु. वनश्री कुर्वेती	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.

क्र. 3176-896-अका-विपप्र-2015.—राज्य शासन द्वारा राजस्व भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र—प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग-ए (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर
जबलपुर संभाग

1	श्री प्रशान्त आर्य	जिला संयोजक
---	--------------------	-------------

क्र. 3178-905-अका-विपप्र-2015.—राज्य शासन द्वारा उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर
इन्दौर संभाग

1	श्री शैलेश कुमार जैन	जिला आबकारी अधिकारी
---	----------------------	---------------------

जबलपुर संभाग

2	श्री जितेन्द्र कुमार अलावे	सहायक जिला आबकारी अधिकारी.
---	----------------------------	----------------------------

3	श्रीमती गिरिजा धुर्वे	आबकारी उप निरीक्षक
---	-----------------------	--------------------

निम्नस्तर
जबलपुर संभाग

1	श्रीमती इन्दु उपाध्याय	आबकारी उप निरीक्षक
---	------------------------	--------------------

क्र. 3180-893-अका-विपप्र-2015.—राज्य शासन द्वारा उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 16 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र—विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

निम्नस्तर
जबलपुर संभाग

1	श्रीमती गिरिजा धुर्वे	आबकारी उप निरीक्षक
2	श्रीमती इन्दु उपाध्याय	आबकारी उप निरीक्षक

क्र. 3184-891-अका-विपप्र-2015.—राज्य शासन द्वारा गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र—व्यवहारिक परीक्षा विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

भोपाल संभाग

1	श्री शिव दयाल	सी. एस. पी.
2	श्री रियाज इकबाल	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

ग्वालियर संभाग

3	श्री राहुल कुमार इंदरचंद लोढा	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
4	श्री विवेक अग्रवाल	सी. एस. पी.

जबलपुर संभाग

5	श्री विवेक सिंह	सी. एस. पी.
6	श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान	एस. डी. ओ. पी.

उज्जैन संभाग

7	श्री मयंक अवस्थी	नगर पुलिस अधीक्षक
---	------------------	-------------------

सागर संभाग

8	कुमार प्रतीक	एस. डी. ओ. पी.
9	श्री राकेश कुमार पन्द्रो	डी. एस. पी.

क्र. 3186-876-अका-विपप्र-2015.—राज्य शासन द्वारा पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो

दिनांक 16 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र—पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया (टिप्पणी रहित-पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनुक्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
-------------------	---------------------------	--------------

**उच्चस्तर
रीवा संभाग**

1	श्रीमती पूनम श्रीवास्तव	उप.पंजीयक
---	-------------------------	-----------

भोपाल, दिनांक 19 मई 2015

क्र. 3191-888-अका-विपप्र-2015.—राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 16 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र—विद्युत् संबंधी विधियां (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनुक्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
-------------------	---------------------------	--------------

उज्जैन संभाग

1	श्री देवीसिंह डावर	उपयंत्री
---	--------------------	----------

जबलपुर संभाग

2	श्री सनेश धुर्वे	उपयंत्री
3	श्री मुकेश कुमार मार्को	उपयंत्री

ग्वालियर संभाग

4	श्री निशांत श्रीवास्तव	उपयंत्री
5	श्री राज कुमार चौरसिया	उपयंत्री

शहडोल संभाग

6	सुश्री प्रतिज्ञा मिश्रा	उपयंत्री
7	श्री कृष्ण चन्द्र द्विवेदी	उपयंत्री

क्र. 3193-903-अका-विपप्र-2015.—राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र—लेखा प्रथम एवं लेखा द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनुक्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
-------------------	---------------------------	--------------

**उच्चस्तर
ग्वालियर संभाग**

1	श्री नरेन्द्र खोड़े	शिक्षक (श्रवण बाधित)
---	---------------------	----------------------

उज्जैन संभाग

2	श्रीमती संध्या शर्मा	अधीक्षक
---	----------------------	---------

क्र. 3195-871-अका-विपप्र-2015.—राज्य शासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र—चतुर्थ पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनुक्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
-------------------	---------------------------	--------------

उच्चस्तर

जबलपुर संभाग

1	श्रीमती मंजूषा शर्मा	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
2	श्री अरूण प्रताप सिंह निरंजन	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
3	श्री राधेश्याम वर्मा	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
4	श्री इन्द्र कुमार साहू	बाल विकास परियोजना अधिकारी.
5	डॉ. मोनिका बिसेन	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
6	कु. वनश्री कुर्वेती	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.

होशंगाबाद संभाग

7	श्री चयेन्द्र कुमार बुडेकर	परियोजना अधिकारी
---	----------------------------	------------------

इन्दौर संभाग

8	श्री संजय गहरवाल	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
9	श्री कालूसिंह बघेल	बाल विकास परियोजना अधिकारी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मण्डी, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 6 अप्रैल 2015

क्र. क्यू.-ए.पी.डी.-2015-3943.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला विदिशा, कृषि उपज मण्डी समिति, विदिशा हेतु निम्नानुसार प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूँ:—

क्र.	निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता	संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट किया गया है	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री एस. एम. खान, अनु. विभागीय कृषि अधि. उपसंभाग, विदिशा.	उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, जिला विदिशा (म.प्र.).	1972 की धारा 11(5)

एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 8 मई 2015

क्र. उपनिर्वा.-अधि.-2014-15-363.—जिले की स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित कृषि उपज मण्डी समिति के लिए स्तम्भ क्रमांक (3) में उल्लेखित सम्मिलन के दिनांक को स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित अध्यक्ष पद के लिये एवं स्तम्भ क्रमांक (5) में अंकित उपाध्यक्ष पद के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं, अतः, मैं, राजीव दुबे, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 12(9) तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम, 1997 के नियम 84(20) के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित करता हूँ:—

क्रमांक	कृषि उपज मण्डी समिति का क्रमांक व नाम	सम्मिलन का दिनांक	अध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य का नाम/पता	उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य का नाम/पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	143-पिछोर	15-4-2015	-	श्री कृष्णकांत गुप्ता, ग्राम खड़ोय, तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी.

क्र. उपनिर्वा.-अधि.-2014-15-364.—जिले की स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित कृषि उपज मण्डी समिति के लिए स्तम्भ क्रमांक (3) में उल्लेखित सम्मिलन के दिनांक को स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित अध्यक्ष पद के लिये एवं स्तम्भ क्रमांक (5) में अंकित उपाध्यक्ष पद के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं, अतः, मैं, राजीव दुबे, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 12(9) तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम, 1997 के नियम 84(20) के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित करता हूँ:—

क्रमांक	कृषि उपज मण्डी समिति का क्रमांक व नाम	सम्मिलन का दिनांक	अध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य का नाम/पता	उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य का नाम/पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	139-खनियाधाना	15-4-2015	-	श्री सोवरन सिंह, बुदेंला, ग्राम कफार, तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी.

राजीव दुबे, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

राज्य शासन के आदेश**राजस्व विभाग**

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मई 2015

आदेश

क्र. एफ. 1-10-2009-सात-शा. 6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से शाजापुर जिले की तहसील शुजालपुर के राजस्व वृत्त अवंतीपुर बड़ौदिया के पटवारी हल्का क्रमांक 38 से 43 एवं 51 से 54 तक, कुल 10 पटवारी हल्के एवं तहसील गुलाना के राजस्व वृत्त सुंदरसी के पटवारी हल्का क्रमांक 25 से 28 एवं 34 से 36 तक, कुल 07 पटवारी हल्कों को अपवर्जित करते हुए, तहसील शुजालपुर एवं तहसील गुलाना की सीमाओं में परिवर्तन करती है और उक्त कुल 17 पटवारी हल्कों तथा 45 ग्रामों को समाविष्ट करते हुए, नवीन तहसील पोलायकला का सृजन करती है. उक्त तहसील का मुख्यालय पोलायकला में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव रंजन, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मई 2015

क्र. एफ. 1-10-2009-सात-शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 1-10-2009-सात-शा. 6, दिनांक 27 मई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव रंजन, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 27th May 2015

ORDER

No. F-1-10-2009-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby alters the limits of Tehsil Shujalpur and Tehsil Gulana of District Shajapur from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halkas Number 38 to 43 and 51 to 54 total 10 patwari halkas of Revenue Circle Avantipur Barodia, and Patwari Halka Number 25 to 28 and 34 to 36 total 07 Patwari Halkas of Revenue Circle Sundarsi of Tehsil Gulana and creates a new Tehsil Polaykala by comprising of 17 Patwari Halkas and 45 Villages. The headquarter of the said Tehsil shall be at Polaykala.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

RAJEEV RANJAN, Principal Secy.**कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सिवनी, मध्यप्रदेश**

सिवनी, दिनांक 21 मई 2015

उद्घोषणा

पत्र क्र. 139-भू-अ.-2014.—झाबुआ पावर लिमिटेड प्रस्तावित कोयला आधारित ताप विद्युत् परियोजना में कोयला आपूर्ति हेतु सड़कों के उपयोग हेतु के संबंध में प्रस्तावित सड़क मार्ग के उपयोग के आशय की घोषणा की जाती है प्रस्तावित सड़कें दो शहरों से होते हुए परियोजना स्थल तक पहुंचती हैं.

झाबुआ पावर लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित परिवहन मार्ग

1. रूट एक—गोसलपुर रेलवे स्टेशन जबलपुर बायपास होते हुए बरगी-धूमा-लखनादौन-मेहता से परियोजना स्थल तक.
2. रूट दो—गोसलपुर रेलवे स्टेशन जबलपुर बायपास होते हुए बरगी-कलकुही-दिवारी-बरेला-गोरखपुर से परियोजना स्थल तक.
3. रूटों के नक्शे (प्लान) का विस्तृत विवरण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मन्दसौर, दिनांक 1 मई 2015

क्र. 1105-13-14-प्र. क्र. 05-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में पावटी चिकन्या से राजस्थान सीमा तक पहुंच मार्ग योजना में ग्राम चिकन्या की सड़क निर्माण के लिये आवश्यकता है वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है।

अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम—चिकन्या

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)			
		सिंचित	असिंचित	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	चिकन्या	0.740	0.080	0.820	
		योग . .	0.740	0.080	0.820

अनुसूची (2)

पावटी चिकन्या से राजस्थान सीमा तक पहुंच मार्ग

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ग्राम—चिकन्या						
1	श्याम सिंह पिता कालु सिंह सौ. रा. निवासी चिकन्या.	866	0.16	0	0.02	0.02
2	गबसिंह पिता माधोंसिंह, भगत बाई पिता माधोंसिंह गुमान सिंह पिता हमेंर सिंह फुलबाई बेवा हमेंर सिंह सौ. रा. निवासी चिकन्या.	829	0.47	0.05	0	0.05
3	गबसिंह पिता माधोंसिंह, भगत बाई पिता माधोंसिंह गुमान सिंह पिता हमेंर सिंह फुलबाई बेवा हमेंर सिंह.	830	0.13	0.04	0	0.04
4	रेखा बाई पति गबसिंह सौ. रा. निवासी चिकन्या.	828	0.48	0.06	0	0.06
5	पप्पु सिंह पिता गोपाल सिंह सौ. रा. निवासी चिकन्या	826	0.54	0.15	0	0.15
6	गोपाल सिंह पिता नवल सिंह सौ. रा. निवासी चिकन्या.	824	1.94	0.11	0	0.11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	लक्ष्मण सिंह पिता गोपाल सिंह सौ. रा. निवासी चिकिन्या.	823	1.92	0.16	0	0.16
8	गोपाल सिंह पिता उदेसिंह सौ. रा. निवासी चिकिन्या.	822	0.70	0.02	0	0.02
9	मदन सिंह पिता दुलेसिंग सौ. रा. निवासी चिकिन्या.	1360	1.20	0.13	0	0.13
10	कालुसिंह पिता किशन सिंह सौ. रा. निवासी चिकिन्या रामगोपाल पिता मांगीलाल महाजन निवासी चिकिन्या.	1362	1.25	0.00	0.06	0.06
11	भोनीबाई बेवा चंपा भेरुलाल मांगीलाल पिता चंपा चमार निवासी चिकिन्या.	1365	1.50	0.02	0	0.02
योग . .		11	10.29	0.740	0.080	0.820

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोट के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1993-13-14-प्र. क्र. 08-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में छाजन से माकड़ी चामूण्डा पहुंच मार्ग योजना में ग्राम छाजन व सेमलीहाड़ा की भूमि सड़क निर्माण के लिये आवश्यकता है वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है.

अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम—छाजन, सेमलीहाड़ा

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	छाजन	0.480	0.000	0.400
2	सेमलीहाड़ा	0.100	0.170	0.270
योग . .		0.580	0.170	0.750

अनुसूची (2)

छाजन से माकड़ी चामूण्डा पहुंच मार्ग

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ग्राम—छाजन						
1	मानसिंह पिता बापुलाल सौ. रा.	305	0.580	0.050	0.000	0.050
2	मंजू पति सचिन अरोरा निवासी इंदौर	304/1	0.680	0.060	0.000	0.060
3	सचिन कुमार पिता भारत भूषण मंजू पति सचिन कुमार अरोरा इंदौर.	304/2	0.900	0.070	0.000	0.070
4	मांगीलाल पिता गोपाल बलाई.	601/1	0.470	0.120	0.000	0.120
5	परथीसिंह राधुसिंह बापुसिंह मोतीसिंह पिता भगवानसिंह सौ. रा.	603	1.400	0.180	0.000	0.180
योग . .			4.030	0.480	0.000	0.480

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ग्राम—सेमलीहाड़ा						
1	देवीसिंह पिता भेरुसिंह सो. रा.	52	0.550	0.000	0.040	0.040
2	डूगरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह केशरसिंह पिता इन्दरसिंह.	152	0.200	0.000	0.040	0.040
3	जतनबाई बेवा रोड़सिंह सो. रा.	63	0.320	0.000	0.090	0.090
4	श्रवणसिंह पिता रतनसिंह सो. रा.	64/1	0.130	0.040	0.000	0.040
5	उमरावसिंह देवीसिंह श्रवणसिंह तेजसिंह पिता रतनसिंह सो. रा.	64/2	0.370	0.060	0.000	0.060
योग . .			1.570	0.100	0.170	0.270

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 20 मई 2015

पत्र क्र. 3340-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दांयी तट नहर					
राजगढ़	ब्यावरा	कानडियाखेड़ी	0.400	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	बांकपुरा तालाब परियोजना की दांयी एवं बांयी तट नहर हेतु भूमि अर्जन.
		गुलजारपुरा	1.208		
		सुमेली	1.640		
बांयी तट नहर					
		कालाकोट	0.550		
		जगन्यापुरा	1.934		
		बांकपुरा	5.054		
		कुल योग . .	10.786		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3341-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	बांसखेड़ी	16.353	कार्यपालन यंत्री, मोहनपुरा परियोजना, जल संसाधन संभाग राजगढ़ (ब्यावरा) म. प्र.	मोहनपुरा वृहद् बहुउद्देशीय परियोजना के बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र की शेष भूमि का भू-अर्जन.
		मांजरीखो	18.987		
		भादवाखेड़ा	12.193		
		राजलीबे	90.410		
		कराड़िया	109.107		
		नलखेड़ा	152.540		
		गोपालपुरा	159.463		
		लक्ष्मणपुरा	41.094		
		बानपुर	218.242		
		चौकी	197.378		
		कुल योग . .	1015.767		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजगढ़/भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनंद कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दासौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मन्दासौर, दिनांक 29 अप्रैल 2015

क्र. 3-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में गोपालपुरा तालाब योजना तहसील सीतामऊ जिला मन्दासौर की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम गोपालपुरा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका, कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है.

अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम—गोपालपुरा

तहसील—सीतामऊ

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ग्राम गोपालपुरा	0.420	-	0.420

गोपालपुरा तालाब योजना

ग्राम—गोपालपुरा, तहसील सीतामऊ, जिला मन्दासौर

अनुसूची (2)

गोपालपुरा तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ग्राम—गोपालपुरा						
1	रावा पिता नातु नायक, निवासी गोपालपुरा.	465	0.120	0.070	-	0.070
		467	1.120	0.270	-	0.270
	योग . .	2	1.240	0.340	-	0.340
2	भंवरलाल पिता किशनलाल नायक, निवासी गोपालपुरा.	464/1	0.100	0.030	-	0.030
3	बाबुलाल गोपाल पिता पन्ना नायक, निवासी गोपालपुरा.	464/2	0.100	0.020	-	0.020
4	बालाराम, गोपाल पिता पन्ना नायक, निवासी गोपालपुरा.	464/3	0.250	0.030	-	0.030
	कुल योग . .			0.420	-	0.420

प्र. क्र. 13-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में भगोर से बरखेड़ा कला मार्ग निर्माण तहसील सीतामऊ जिला मन्दसौर की मार्ग निर्माण योजनान्तर्गत ग्राम मेरियाखेड़ी के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका, कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है.

अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम—मेरियाखेड़ी

तहसील—सीतामऊ

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ग्राम मेरियाखेड़ी	0.44	0.18	0.62

भगोर से बरखेड़ा कला मार्ग निर्माण

ग्राम—मेरियाखेड़ी, तहसील सीतामऊ, जिला मन्दसौर

अनुसूची (2)

भगोर से बरखेड़ा कला मार्ग निर्माण में आने वाली निजी भूमि का विवरण

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ग्राम—मेरियाखेड़ी						
1	जुझार पिता प्यारा गुर्जर	958	0.16	0.16	-	0.16
2	धन्ना पिता रायसिंह गुर्जर	959	0.09	0.09	-	0.09

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	राबिया बी पति अय्युब खां पिंजारा निवासी मानपुरा.	960	0.10	0.10	-	0.10
4	दुर्गाबाई पति हिरालाल ब्राह्मण निवासी मानपुरा.	962	0.09	0.09	-	0.09
5	शंकरलाल पिता स्वरूप चमार निवासी मेरियाखेड़ी.	964	0.15	-	0.15	0.15
		965	0.03		0.03	0.03
	कुल योग	6	0.62	0.44	0.18	0.62

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 26 मई 2015

प्र. क्र. 160-अ-82-वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11 एवं 12) की उपधारा (3) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन		
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	सिरी	निजी भूमि रकबा 0.750 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. कुल रकबा 0.750 है.	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. सागर.	पन्ना-अमानगंज-सिमरिया मार्ग योजना अन्तर्गत अमानगंज वायपास रोड़ निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा),
मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 2 मई 2015

क्र. 2903-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (चान्दतलाई की नहर से प्रभावित भूमि) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—खिलचीपुर
(ग) ग्राम—पानखेडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.094 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
157/54	0.034
157/58	0.060
योग . .	0.094

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—(चान्दतलाई की नहर से प्रभावित भूमि) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 7 मई 2015

रा. मा. प्र. क्र.-01-अ-82 वर्ष 2014-15-गाडरवारा-पत्र क्र.
1112-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का

समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) नगर/ग्राम—दहलवाडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.328 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
98	0.040
88/2	0.048
103/4	0.060
103/5	0.040
80/1ख	0.140
कुल योग . .	0.328

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—कान्हरगाँव-महगुवाकलां-आड़ेगाँव-गोलगाँव खुर्द मार्ग निर्माण. [निर्माण एजेन्सी का नाम-कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.(भ/स) संभाग नरसिंहपुर].

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता है.

रा. मा. प्र. क्र.-01-अ-82 वर्ष 2013-14-गाडरवारा-पत्र क्र.
1114-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा

(ग) नगर/ग्राम—रायपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.300 हेक्टेयर.

(ग) ग्राम—पटेहरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.250 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)	खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेर में) (2)
289/1, 290/1	0.060	501/2क	0.095
289/4, 289/5, 290/2	0.160	380/2क	0.050
311/2	0.080	381/1	0.050
कुल योग	0.300	383/1क	0.100

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—कल्याणपुर से चादनखेडा मार्ग में शक्कर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण. [निर्माण एजेन्सी का नाम—कार्यपालन यंत्री, लो. नि.वि. (सेतु निर्माण) संभाग जबलपुर.].

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 11 मई 2015

क्र. -भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 19 की घोषणा पश्चात् अधिनियम के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—मानपुर

384/2क	0.050
384/3	0.050
384/2	0.050
384/5क	0.247
387/2क/1	0.035
387/2ख	0.035
388/5ख	0.150
388/10क	0.230
501/7क	0.100
388/7	0.120
501/9क	0.627
501/5	0.050
501/6क	0.025
501/8क	0.155
501/10	0.350
384/4	0.050
491	0.085
492	0.050
497/2	0.050
258/3	0.060
363/506/5	0.066
363/506/6	0.405
363/506/7	0.220
363/506/8	0.202
387/1ख	0.089
388/8	0.404
योग	4.250

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—मानपुर

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
270/4	0.080
355/7क	0.050
355/3	0.050
304	0.050
168	0.050
270/1क	0.020
167/391	0.168
योग	0.468

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—बांधवगढ़
(ग) ग्राम—सेमरीटोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.270 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
121/1	0.010
132/2क	0.020
148/1	0.040
148/3	0.020
148/4	0.040
148/5क	0.020
120/3	0.050
161/2	0.040
98/2क	0.030
योग	0.270

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—भडारी जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण हेतु.

क्र. -भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन्

2013) की धारा 19की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 19 की घोषणा पश्चात् अधिनियम के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—मानपुर
(ग) ग्राम—कछौहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.458 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
5/3ख	0.156
126	0.129
193/5ख	0.112
193/3	0.061
कुल योग	0.458

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बन्देही जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

क्र. -भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 19 की घोषणा पश्चात् अधिनियम के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—मानपुर

- (ग) ग्राम—दुलहरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.700 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
58/2	0.700
कुल योग	0.700

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बन्देही जलाशय योजना के शीर्ष एवं स्पल चैनल निर्माण हेतु.

क्र. -भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 19 की घोषणा पश्चात् अधिनियम के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—मानपुर
(ग) ग्राम—कठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.270 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
225/2क	0.080
225/2ख	0.070
222/2	0.090
232	0.030
कुल योग	0.270

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बन्देही जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

क्र. -भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित

भूमि की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 19 की घोषणा पश्चात् अधिनियम के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—मानपुर
(ग) ग्राम—बांसा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.764 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
93/2क	0.560
93/3	0.385
93/2ख	0.560
93/2घ	0.121
93/4क/1	0.304
93/4क/2	0.404
272	0.036
347/2	1.214
49/3	0.180
कुल योग	3.764

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बन्देही जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण हेतु.

क्र. -भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है.

राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 19 की घोषणा पश्चात् अधिनियम के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—मानपुर
(ग) ग्राम—कोटरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.219 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
295/1	0.130
270/1	0.027
270/2	0.030
298/4	0.032
कुल योग . .	<u>0.219</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—भदार व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

क्र. -भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 19 की घोषणा पश्चात् अधिनियम के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—मानपुर

- (ग) ग्राम—अमरपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.035 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
547/7	0.035
कुल योग . .	<u>0.035</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—भदार व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. जी. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 15 मई 2015

प्र. क्र. 2-अ-82-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—छतरपुर
(ग) नगर/ग्राम—मौराहा (पूरक)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.034 हेक्टेयर.

भूमि का खसरा नं. (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
6/1/5	0.014
6/1/6	0.006
1148/2/10	0.014
योग . .	<u>0.034</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—ललितपुर-सिंगरौली (खजुराहो) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

छतरपुर, दिनांक 20 मई 2015

प्र. क्र. 4-अ-82-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—छतरपुर

(ग) नगर/ग्राम—गौर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि 7.404 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा
विवरण में भू-
खण्डों की संख्या

खसरे का
क्षेत्रफल अर्जित

(1)

(2)

734/1

0.130

734/2

0.089

737

0.065

739

0.203

740

0.417

742

0.073

743

0.259

744

0.251

746

0.065

745

0.065

748

0.388

802

0.260

880

0.372

749

0.243

867/3

0.081

800

0.243

803

0.227

805/1

0.283

804/1

0.283

804/2

0.279

805/2

0.283

(1)

(2)

854/1

0.101

874/1

0.065

875/1

0.051

860/1

0.114

860/2

0.485

863

0.154

864

0.538

867/1

0.170

877

0.826

867/2

0.010

874/2

0.020

874/3

0.025

874/4

0.146

875/3

0.085

875/2

0.050

735

0.005

योग . . . 7.404

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.—तड़पेड़ बांध की स्पिल चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 14 मई 2015

नस्ती क्र. -2015-एलए.-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक-02-अ-82-14-15—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) ग्राम—धारकवाडी

(घ) अर्जित रकबा—0.080 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
204	0.080
योग . . . 0.080	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके के लिये भूमि की आवश्यकता है.—बी.ओ.टी. एन्यूटी योजना, अंतर्गत ग्राम मूंदी-पुनासा से सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट मार्ग निर्माण में आवश्यक निजी भूमि.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा तथा संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लि. संभाग-2 इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. -2015-एलए.-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक-03-अ-82-14-15—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) नगर/ग्राम—जलवाबुजुर्ग
(घ) अर्जित रकबा—0.150 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
334	0.050
650	0.030
394	0.020
393	0.030
314	0.020
योग . . . 0.150	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके के लिये भूमि की आवश्यकता है—मूंदी-देवला-खुटला--अटूट की निजी कृषि भूमि में (इंटरमिडिएट लेन) मार्ग निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा तथा संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लि. संभाग-2 इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. -2015-एलए.-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक-04-अ-82-14-15—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) नगर/ग्राम—देवला रैयत
(घ) अर्जित रकबा—0.580 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
57	0.010
58/1	0.010
59	0.060
61	0.020
165	0.050
186	0.130
189/1	0.070
195	0.080
196	0.030
198/1	0.050
198/2	0.050
208	0.020
कुल योग . . . 0.580	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके के लिये आवश्यकता है—मूंदी-देवला-खुटला--अटूट की निजी कृषि भूमि में (इंटरमिडिएट लेन) मार्ग निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा तथा संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लि. संभाग-2 इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. -2015-एलए.-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक-05-अ-82-14-15—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की

धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची		(1)	(2)	(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन—				319/16	0.05
(क) जिला—खण्डवा		337/2	0.08	337/2	विलोपित
(ख) तहसील—पुनासा		337/3	0.07	337/3	विलोपित
(ग) नगर/ग्राम—केनूद		337/1	0.16	337/1	0.08
(घ) अर्जित रकबा—91.00 वर्गमीटर				337/4	0.13
				337/9	0.05
				337/10	0.05
खसरा क्रमांक/मकान	अर्जित रकबा (वर्ग. मी.)	391/1	0.04	391/1	0.02
(1)	(2)	391/2	0.06	391/2	विलोपित
मार्ग संतर से खुली	राजेन्द्र सिंह पिता रघुनाथसिंह			391/7	0.02
दूरी 2.5 मीटर पर	जाति राजपूत का पक्का			391/8	0.06
	टीन शेड	317/1	0.04	317/1	0.01
	26 x 3.5=91.00 वर्गमीटर.			317/8	0.03
कुल योग . .	91.00 वर्गमीटर				

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 2.94 हेक्ट. यथावत रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासि,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 19 मई 2015

पत्र क्र. 1308-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासि और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—मनवाही 452
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.016 हेक्टेयर.

उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावें.			
पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि	सही प्रविष्टि		
खसरा नम्बर	रकबा (है. में)	खसरा नम्बर	रकबा (है. में)
(1)	(2)	(1)	(2)
319/4	0.10	319/4	0.09
319/3	0.14	319/3	0.02
319/2	0.16	319/2	0.08
		319/9	0.02
		319/10	0.05
		319/11	0.05
		319/13	0.02
		319/15	0.02

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
220	0.016	-
योग	0.016	-

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1310-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि एवं स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) नगर/ग्राम—पुरवा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.927 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
32	0.490	-
33	0.068	-
34	0.351	-
38	0.299	-
39	0.152	-
40	0.276	-
41	0.811	-
43	0.480	-
योग	2.927	-

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1312-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि एवं स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) नगर/ग्राम—तुरका गोंदर
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.968 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
356	0.081	-
358	0.066	-
359	0.217	-
361	0.066	-
365	0.080	-
366	0.091	-
368	0.152	-
369	0.215	-
योग	0.968	-

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1314-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि एवं स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर

(ग) नगर/ग्राम—पल्हौवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.065 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
23	-	0.006
24	-	0.037
25	0.141	-
26	0.060	-
28	0.134	-
50	0.008	-
52	0.201	-
53	0.013	-
54	0.123	-
91	0.081	-
92	0.035	-
104	-	0.038
106	0.078	-
107	0.010	-
112	0.038	-
113	0.064	-
कुल योग . 1.065		-

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1316-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि एवं स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—त्योथर

(ग) नगर/ग्राम—कोल्हुवारू कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.552 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
18	0.275	-
20	0.180	-
21	0.120	-
30	0.047	-
40	0.053	-
41	-	0.036
42	0.278	-
43	0.075	-
44	0.0129	-
68	0.186	-
70	0.173	-
कुल योग . 1.552		-

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1318-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि एवं स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—त्योथर

(ग) नगर/ग्राम—शुभनाथ कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.621 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
177	0.171	-
178	0.296	-
179	0.076	-
180	0.054	-
181	0.081	-
182	0.036	-
190	0.075	-
191	0.180	-
192	0.209	-
210	0.081	-
216	0.002	-
222	0.038	-
224	0.100	-
225	0.155	-
233	0.038	-
234	-	0.029
कुल योग . 1.621		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1320-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि एवं स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

(ग) नगर/ग्राम—बड़ाछ कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल —7.132 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
27	0.018	-
28	0.492	-
139	0.013	-
140	0.036	-
141	0.082	-
143	0.466	-
144	0.179	-
179	0.101	-
187	-	0.008
188	-	0.259
193	0.056	-
194	0.152	-
205	0.068	-
206	0.064	-
207	0.005	-
209	0.071	-
210	0.046	-
214	0.044	-
221	0.097	-
222	0.404	-
223	0.165	-
224	0.256	-
225	0.007	-
226	0.031	-
300	0.095	-
304	0.092	-
305	0.038	-
306	0.003	-
307	0.057	-
308	0.050	-
310	0.128	-
311	0.091	-
381	0.415	-
382	0.385	-
385	0.354	-

(1)	(2)	(3)
386	0.216	-
503	0.047	-
505	0.084	-
506	0.123	-
512	0.089	-
513	0.114	-
514	0.068	-
523	0.022	-
525	0.021	-
526	0.031	-
527	0.020	-
539	0.003	-
548	0.189	-
549	0.600	-
550	0.010	-
553	0.031	-
554	0.182	-
806	0.005	-
807	0.093	-
808	0.014	-
809	0.046	-
810	0.290	-
811	0.006	-
योग . .	6.865	0.267
कुल योग .	7.132	-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1322-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि एवं उस

पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योथर
(ग) ग्राम—सियाउर खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.453 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
40	0.001	-
48	0.032	-
49	0.063	-
54	0.181	-
55	0.176	-
योग .	0.453	-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1324-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योथर
(ग) ग्राम—लखवार कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.449 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
4	0.137	-
6	-	0.038

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
7	0.022	-	3	0.183	-
8	0.152	-	4	0.014	-
10	0.042	-	6	0.002	-
11	0.029	-	7	0.283	-
14	0.081	-	8	0.264	-
15	0.104	-	9	0.098	-
16	0.152	-	13	0.247	-
17	0.063	-	27	0.245	-
20	0.196	-	30	0.689	-
21	0.064	-	31	-	0.009
22	0.065	-	35	-	0.009
23	0.121	-	39	0.298	-
24	0.038	-	40	0.019	-
40	0.135	-	41	0.019	-
133	-	0.010	43	0.082	-
			47	0.251	-
			कुल योग	3.187	-

योग . 1.449

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1328-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—नोबस्ता
(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.187 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
1	-	0.028
2	0.438	-

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—महुली
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.764 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
49	0.048	-
50	0.042	-

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
51	0.082	-	8	0.019	-
57	0.024	-	9	0.164	-
58	0.011	-	12	0.031	-
59	0.160	-	13	0.119	-
67	0.144	-	15	0.015	-
68	0.008	-	16	0.068	-
113	-	0.005	19	0.033	-
114	0.208	-	20	0.338	-
150	0.032	-	21	0.022	-
कुल योग . 0.764			22	0.138	-
			97	0.381	-
			कुल योग . 2.224		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1330-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योथर
(ग) ग्राम—भोथी
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.224 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
2	0.800	-
7	0.096	-

पत्र क्र. 1332-प्रशा.-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) ग्राम—बढ़ौरा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.035 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
113	0.006
188/691/1	0.008
188/1	0.021
योग	0.035

अ—निजी पट्टे की भूमि

113	0.006
188/691/1	0.008
188/1	0.021
योग	0.035

- (2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.
- (3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा मुख्य नहर के बढौरा माइनर नहर के निर्माण आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1334-प्रशा.-भू-अर्जन-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) ग्राम—सेल्हना पैपखार
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.088 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि
23

योग . . . 0.088

- (2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.
- (3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा मुख्य नहर के बढौरा माइनर नहर के निर्माण आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 20 मई 2015

प्र. क्र. 01-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित

भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक तीस, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—कटनी
(ख) तहसील—रीठी
(ग) ग्राम—रीठी, प.ह.नं. 23, नं.बं. 355, ग्राम-ममार, प.ह.नं. 24, नं. बं. 317, ग्राम धनिया, प.ह.नं. 24, नं. बं. 114.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.382 हेक्टे., 0.931 हेक्टे., 4.614 हेक्टे.

ग्राम—रीठी प. ह. नं. 23 नं. बं. 355

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)
462	0.030
463	0.493
465/1	0.100
465/2	0.140
466	0.217
471/1	0.530
675	0.009
467	0.131
468	0.008
470	0.036
479/1	0.200
470/2	0.070
479/3	0.080
480	0.149
489	0.011
487	0.194
488	0.829
490	0.197
491	0.182
673	0.006
674/1	0.210
674/2	0.060

(1)	(2)	(1)	(2)
744/4	0.027	38/1	0.050
742/1	0.010	39/1	0.283
727	0.601	40	0.100
734	0.166	41	0.070
735	0.220	42	0.136
736/1	0.005	43	0.492
766	0.031	44/1	0.170
739/1	0.414	44/2	0.030
739/4	0.010	44/5	0.110
740/1	0.179	44/6	0.070
740/3	0.094	44/8	0.070
765	0.050	144	0.180
486	0.277	164	0.070
461	0.011	146	0.090
764/1	0.052	157	0.608
768	0.067	163	0.570
1124/489	0.020	161/1	0.600
464/1	0.500	179/1	0.080
योग . . .	<u>7.382</u>	177/1	0.070
		178	0.250
		180	0.300
		योग . . .	<u>4.614</u>

ग्राम—ममार, प. ह. नं. 24 नं. बं. 317

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टे. में) (2)
8	0.010
486/1	0.570
486/5	0.030
486/7	0.030
488	0.020
487	0.141
489/1	0.050
489/2	0.020
489/4	0.030
489/5	0.030
योग . . .	<u>0.931</u>

ग्राम—धनिया, प. ह. नं. 24 नं. बं. 114

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टे. में)
30	0.185
37/2	0.030

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—दमोह-कटनी राजमार्ग क्रमांक-14 के अंतर्गत रीठी बाइपास सड़क के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटनी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटनी में किया जा सकता है.
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 2 फरवरी 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास सिंह नरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 11 मई 2015

क्र. 471-गोपनीय-2015-चार-12-31-72 (भाग-चार-ए).—श्रीमती रश्मि मिश्रा, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, रतलाम की प्रार्थना पर उनका गृह जिला “इंदौर (म. प्र.)” के स्थान पर “उदयपुर (राजस्थान)” परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

क्र. 473-गोपनीय-2015-चार-12-31-72 (भाग-चार-ए).—श्री संजोग सिंह वाघेला, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मनावर जिला धार की प्रार्थना पर उनका गृह जिला “झाबुआ” के स्थान पर “अलीराजपुर” परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

क्र. 475-गोपनीय-2015-चार-12-31-72 (भाग-चार-ए).—श्री रामलाल यादव, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उज्जैन की प्रार्थना पर उनका गृह जिला “मण्डलेश्वर” के स्थान पर “बड़वानी” परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

क्र. 477-गोपनीय-2015-चार-12-31-72 (भाग-चार-ए).—श्री शिवलाल केवट, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, शुजालपुर जिला शाजापुर की प्रार्थना पर उनका गृह जिला “शहडोल” के स्थान पर “अनूपपुर” परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

क्र. 479-गोपनीय-2015-चार-12-31-72 (भाग-चार-ए).—श्रीमती विनीता गुप्ता, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, नागदा जिला उज्जैन की प्रार्थना पर उनका गृह जिला “झाबुआ” के स्थान पर “अलीराजपुर” परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

क्र. 481-गोपनीय-2015-चार-12-31-72 (भाग-चार-ए).—श्री नितिन कुमार मुजाल्दा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, हटा जिला दमोह की प्रार्थना पर उनका गृह जिला “झाबुआ” के स्थान पर “अलीराजपुर” परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

क्र. 483-गोपनीय-2015-चार-12-31-72 (भाग-चार-ए).—श्री लक्ष्मण डोडवे, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, कुशी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, कुशी जिला धार की प्रार्थना पर उनका गृह जिला “मण्डलेश्वर” के स्थान पर “बड़वानी” परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

क्र. 485-गोपनीय-2015-चार-12-31-72 (भाग-चार-ए).—श्री अनिल वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर की प्रार्थना पर उनका गृह जिला “जबलपुर” के स्थान पर “कटनी” परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

क्र. 487-गोपनीय-2015-चार-12-31-72 (भाग-चार-ए).—श्री अशोक कुमार जोशी, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), इंदौर की प्रार्थना पर उनका गृह जिला “मण्डलेश्वर” के स्थान पर “बड़वानी” परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2015

क्र. 383-गोपनीय-2015-दो-3-1-2015 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती प्रीति सिंह, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जबलपुर.	तेरहवें न्यायाधीश वर्ग-1, जबलपुर की हैसियत से श्री अनिल कुमार साहू के स्थान पर.
2	श्री अनिल कुमार साहू, तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जबलपुर.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जबलपुर की हैसियत से श्रीमती प्रीति सिंह के स्थान पर.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 20 अप्रैल, 2015

क्र. C-1770-दो-2-14-2012.—श्री ए. जे. खान, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 23 अप्रैल से 02 मई 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 03 एवं 04 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. जे. खान, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. जे. खान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-1632-दो-2-11-2014.—श्री व्ही. एल. झा, रजिस्ट्रार (एग्जाम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 23 से 27 अप्रैल 2015 दोनों दिन सम्मिलित करके 05 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. एल. झा, रजिस्ट्रार (एग्जाम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

जबलपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2015

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. एल. झा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (एग्जाम) के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 22 अप्रैल, 2015

क्र. A-1624-दो-14-29-86.—श्री किशोर पिथवे, डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-2), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 20 मार्च से 04 अप्रैल 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सोलह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 05 अप्रैल 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री किशोर पिथवे, डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-2), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री किशोर पिथवे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-2) के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

क्र. 350-गोपनीय-2015-दो-3-1-2015 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री शशिकांत वर्मा	ब्यौहारी	मुलताई	बैतूल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
2.	श्रीमती निशा विश्वकर्मा	जीरापुर	ब्यौहारी	शहडोल	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, ब्यौहारी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री शशिकांत वर्मा के स्थान पर।
3.	श्री संतोष चौहान	सीतामऊ	इंदौर	इंदौर	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

क्र. 351-गोपनीय-2015-दो-3-1-2015 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री आशीष दवण्डे	रहली	जबलपुर	जबलपुर	चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
2	श्रीमती निधि सक्सेना	गोहद	गंजबासौदा	विदिशा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

टिप्पणी:—

1. श्री शशिकांत वर्मा, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, ब्यौहारी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, ब्यौहारी जिला शहडोल.
2. श्रीमती निशा विश्वकर्मा, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जीरापुर, जिला राजगढ़,
3. श्री आशीष दवण्डे, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, रहली जिला सागर,
4. श्रीमती निधि सक्सेना, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, गोहद जिला भिण्ड, का स्थानांतरण उनके द्वारा निवेदन किये जाने पर स्वयं के व्यय पर किया गया है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक).

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2015

क्र. 150-स्था. सैट-2015.— श्रीमती एम. जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 09 से 13 मार्च 2015 तक, कुल पांच दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती एम. जिल्ला को अस्थायी रूप से निजी सचिव उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इंदौर को पुनः पदस्थ किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जिल्ला उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो निज सचिव के पद पर कार्य करती रहतीं. अतः अवकाश अवधि में दिनांक 09 मार्च 2015 से 13 मार्च 2015 को मूलभूत नियम 17 के अनुसार वेतन वृद्धि के लिये गिनी जावेगी.

ए. एम. येवलेकर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मई 2015

क्र. एफ. 1-10-2009-सात-शा. 6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से शाजापुर जिले की तहसील शुजालपुर के राजस्व वृत्त अवंतीपुर बड़ौदिया के पटवारी हल्का क्रमांक 47 से 50 एवं 55 से 60 तक, कुल 10 पटवारी हल्कों को अपवर्जित करते हुए तहसील शुजालपुर की सीमाओं में परिवर्तन करती है और कुल 10 पटवारी हल्कों तथा 24 ग्रामों को समाविष्ट करते हुए, नवीन तहसील अवंतीपुर बड़ौदिया का सृजन करती है। उक्त तहसील का मुख्यालय अवंतीपुर बड़ौदिया में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव रंजन, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मई 2015

क्र. एफ. 1-10-2009-सात-शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 1-10-2009-सात-शा. 6, दिनांक 27 मई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव रंजन, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 27th May 2015

No. F-1-10-2009-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby alters the limits of Tehsil Shujalpur of District Shajapur from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka Number 47 to 50 and 55 to 60 total 10 Patwari Halkas of Revenue Circle Avantipur Barodia and creates a new Tehsil Avantipur Barodia comprising of 10 Patwari Halkas and 24 Villages. The headquarter of the said Tehsil shall be at Avantipur Barodia.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.

RAJEEV RANJAN, Principal Secy.